"Web-site"

कार्यालय, आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन,
सतपुड़ा भवन, पॉचवीं मन्जिल, ए–बी विंग, भोपाल–462004

–:: **आदेश** ::–

भोपाल, दिनांक– 18/08/2017.

क्रमांक– **2176**/519/आउशि/सम्बद्वता/17 :: राज्य शासन द्वारा लिये गये निर्णयानुसार सत्र 2017–18 में राष्ट्रीय अध्यापक परिषद् से विनियमित पाठ्यक्रमों बी.एड, एम.एड., बी.पी.एड., एम.पी.एड. एवं बी.एड.–एम.एड. (एकीकृत तीन वर्षीय) तथा बी.ए.बी.एड., बी.एससी.बी.एड., बी.एल.एड. पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित प्रवेश प्रकिया में सम्मिलित, मध्यप्रदेश राज्य के मूल निवासी विद्यार्थियों के लिए 'ऑनलाइन–काउंसलिंग' का एक अतिरिक्त चरण निम्नानुसार आयोजित किया जाता है :–

अतिरिक्त चरण हेतु काउंसलिंग के लिये महत्वपूर्ण तिथियां

क्रमांक	कार्यवाही	निर्धारित तिथियां
1	तृतीय चरण पश्चात् महाविद्यालयों में रिक्त सीटों की उपलब्धता	21 अगस्त, 2017
2	**(i)** नवीन पंजीयन (प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित ऐसे आवेदक जो पूर्व में प्रवेश हेतु पंजीयन नहीं करा सके हैं, वे पजीयन कर इस चरण में रिक्त स्थानों पर प्रवेश आवंटन हेतु गुणानुकम अनुसार पात्र होंगे।) **(ii)** अतिरिक्त चरण में आवंटन हेतु पंजीकृत अप्रवेशित आवेदकों से महाविद्यालयों की पुनः वरीयता प्राप्त करना	22 अगस्त से 28 अगस्त, 2017
3	मेरिट एवं वरीयता अनुसार अतिरिक्त चरण में सीट आवंटन	31 अगस्त, 2017
4	आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु हेल्प सेंटर पर शुल्क का भुगतान एवं टी.सी./माइग्रेशन प्रस्तुत करना	01 सितम्बर से 04 सितम्बर, 2017तक

शेष नियम एवं शर्ते यथावत् रहेंगे।

(नीरज मंडलोई)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.

पृ. क्रमांक– **2177**/519/आउशि/सम्बद्वता/17 . भोपाल, दिनांक– 18 /08/2017.

प्रतिलिपि :–

1– विशेष सहायक, माननीय् मंत्री जी, उच्च शिक्षा भोपाल (म.प्र.)।

2– अपर मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल (म0प्र0)।

3– कार्यपालन अधिकारी, एम0पी0 आनलाईन, भोपाल (म.प्र.)।

4– क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, समस्त क्षेत्रीय कार्यालय, मध्यप्रदेश।

5– कुलसचिव, समस्त पारंपरिक विश्वविद्यालय(एन.सी.टीई. के पाठ्यकमों हेतु निर्धारित हेल्प सेंटर),म.प्र.।

6– प्राचार्य, समस्त शासकीय महाविद्यालय (एन.सी.टीई. के पाठ्यकमों हेतु निर्धारित हेल्प सेंटर),म.प्र.।

7– एन.सी.टीई. के पाठ्यकम संचालन करनें वाली समस्त संस्थाऐं, मध्यप्रदेश।

——की और सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु।

(डॉ. मनोज कुमार सिंह)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी
उच्च शिक्षा,म.प्र.